Uttar Pradesh Electricity Regulatory Commission
2nd Floor, Kishan Mandi Bhawan,Gomti Nagar,
Lucknow

No. UPERC /Secretary/Regulations/2007- Dated: 12th September, 2007

Public Notice

In exercise of power conferred under Section 91 read with Section 181 of the Electricity Act 2003, the Commission is proposing the following amendments in its Appointment of Consultant Regulation-2000. Interested parties/stakeholders may submit their comments on the proposed amendment in person or by post, fax or email to the Secretary, UP Electricity Regulatory Commission within 14 days of the publication of this notice in the news paper.

Clause No.	As existing under current regulations	As amended
7 (3)	The Commission will prescribe the minimum qualifying marks for the technical bid.	The Commission shall prescribe the qualifying technical requirements for each consultancy assignment and in all cases where the Commission decides to invite technical and financial proposals separately in two parts; financial proposals shall be invited from only those consultancy firms who meet the technical qualifying requirements as prescribed by the Commission for a particular assignment. The consultancy firms meeting the technical qualifications shall be informed about the date and time for opening the financial proposal. Sufficient time shall be given to such consultancy firms to be present at the time of opening of financial proposal.
12(3)	The proposal with lowest cost will be given a financial score of 100 and other proposals given financial score that are inversely proportional to their prices.	The consultancy firm quoting the minimum evaluated price shall be awarded the contract.
13(2)	The Commission may appoint a negotiating committee to inter into both technical and financial negotiations. Where technical negotiations are conducted they will be completed prior to pre-qualification of the Consultants. Financial negotiations can be entered into for any aspect of the financial proposal including the unit rates for staff months, contingency amounts, lump sum reimbursement of travel and living expenses and payment terms.	The Commission may appoint a negotiating committee to enter into negotiations with the lowest evaluated bidder.

Further in view of amended provisions Clause No. 10, 11(1), 11 (2), 11(3) and 13 (1) stand deleted. The complete UPERC (Appointment of Consultant) Regulation 2000, may be downloaded from website www.uperc.org.

Secretary

Phone: 0522-2720426, 2720427
Fax: 0522-2720423
E-Mail: secretary@uperc.org

उत्तर प्रदेश विद्युत नियामक आयोग
द्वितीय तल, किसान मण्डी भवन, विभूति खण्ड, गोमती नगर, लखनऊ

संख्याः– उ0प्र0वि0नि0आयोग/सचिव/विनियमावली/2007 दिनॉकः 12 सितम्बर 2007

सार्वजनिक सूचना

विद्युत अधिनियम 2003 की धारा 91 सपठनीय धारा 181 में प्रदत्त शक्तियों के प्रयोग में उत्तर प्रदेश विद्युत नियामक आयोग, अपने ''सलाहकार की नियुक्ति'' विनियमावली–2002 में निम्नलिखित संशोधन प्रस्तावित करता है। इच्छुक दल/पणधारीं प्रस्तावित संशोधन पर अपने विचार व्यक्तिगत रुप से या डाक, फैक्स या इलेक्ट्रानिक मेल द्वारा सचिव, उ0प्र0 विद्युत नियामक आयोग को सूचना के समाचार पत्र में प्रकाशित होने के 14 दिनों के भीतर भेज सकते है।

धारा नं0	जैसा कि वर्तमान विनियमावली में है।	जैसा कि संशोधित किया गया
7(3)	आयोग तकनीकी बोली के लिये न्यूनतम अर्हता अंक विहित करेगा।	आयोग प्रत्येक परामर्शी कर्तव्यभार हेतु तकनीकी अर्हता आवश्यकता विनिर्दिष्ट करेगा और उन सभी मामलों में जहॉ आयोग तकनीकी एवं वित्तीय प्रस्ताव अलग–अलग दो भोगो में आमंत्रित करना विनिश्चित करता है, तकनीकी प्रस्ताव केवल उन्ही परामर्शी फर्मो द्वारा आमंत्रित किये जायेगे जो कि आयोग द्वारा विशिष्ट कर्तव्यभार हेतु विनिर्दिष्ट तकनीकी अर्हता आवश्यकताओं को पूर्ण करेंगे। तकनीकी आवश्यकता को पूर्ण करने वाली परामर्शी फमी को वित्तीय प्रस्ताव खोलने के दिन एवं समय से अवगत कराया जायेगा। ऐसी परामर्शी फर्मो को वित्तीय प्रस्ताव खुलने के समय उपस्थित होने हेतु समुचित समय दिया जायेगा।
12 (3)	न्यूनतम मूल्य के प्रस्ताव को 100 वित्तीय अंक दिये जायेगें और अन्य प्रस्तावों को उसी प्रकार वित्तीय अंक दिये जायेगे जो उनके मूल्यों के प्रतिलोमतः समानुपाती हो।	न्यूनतम मूल्यॉकित कीमत प्रस्तावित करने वाली परामर्शी फर्म को अनुबन्ध दिया जायेगा।
13 (2)	आयोग तकनीकी और वित्तीय दोनो बातचीतो को करने के लिये एक बातचीत समिति नियुक्त कर सकती है। जब तकनीकी बातचीत चल रही हो तो उन्हे परामर्शियों की पूर्व अर्हता के पहले पूरा किया जायेगा। वित्तीय बातचीत को वितती य प्रस्ताव के किसी बिन्दु के लि ये जिसके अन्तर्गत कर्मचारीवर्ग मास, आकस्मिक धनराशियॉ, यात्रा और निर्वाह व्यय की एक मुश्त प्रतिपूर्ति और भुगतान निबंधन सम्मिलित है, प्रारम्भ की जा सकती है।	आयोग न्यूनतम मूल्यॉकित बोली लगाने वाले से समझौते हेतु एक समझौता समिति नियुक्त कर सकती है।

इसके अतिरिक्त संशोधित प्राविधानों के फलस्वरुप धारा संख्या– 10, 11(1), 11 (2), 11(3) और 13 (1) विलोपित होते है। पूर्ण उ0प्र0वि0नि0आ0 (परामर्शियों की नियुक्ति) विनियमावली 2000 वेबसाइट www. uperc.org से प्राप्त (डाउनलोड) की जा सकती है।

सचिव

दूरभाष : 0522-2720426, 2720427
फैक्स: 0522-2720423
ई–मेल : secretary@uperc.org